1090 09
संख्याः / III(1)/18–46(अधि0)/टीसी–4(1)

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I-T
upload करें।
02.08.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 01 अगस्त, 2018

विषयः–स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1238/35व्यक–सा0/18, दिनांक 15.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप किये गये विभिन्न संवर्गो के कार्मिकों के स्थानान्तरण हुई कठिनाईयों को देखते हुये कतिपय बिन्दुओं पर शासन स्तर से दिशा निर्देश चाहे गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण को स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–210/XXX-2/18/30(11)/18, दिनांक 25.07.2018 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लेते हुये विभाग को अपने स्तर से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैः–

1. लोक निर्माण विभाग के 03 अधिशासी अभियन्ताओं के सम्बन्ध में विभाग वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उपलब्ध प्राविधानों के अधीन विभागीय स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाय।
2. 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा के दृष्टिगत कार्मिकों को विकल्प के आधार पर समायोजित किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में उपलब्ध प्राविधानों के अधीन विभागीय स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाय।
3. जो कार्मिक दुर्गम में रहना चाहते हैं, उनका परस्पर दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानान्तरण किया जाय।
4. जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2019 तक है, उनको दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जाती है।
5. संघ के ऐसे पदाधिकारी, जिनका कार्यकाल पदधारण की तिथि से 02 वर्ष तक का है, उनके सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17(2)(घ) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. 55 वर्ष की आयु के जिन कार्मिकों द्वारा दुर्गम से सुगम हेतु स्थानान्तरण में छूट का अनुरोध किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में विभागीय स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाय।

3– अतः कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त पत्र दिनांक 25.07.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार विभागीय स्थिति के अनुसार आंकलन कर विभागीय निर्णय लेते हुये अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

Rajwar GO Letter

संख्याः २/० /XXX(2)/18/30(11)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2018

विषयः– स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधानों से छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2. उक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण अधिनियम से छूट दिये जाने संबंधी प्रकरणों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैः–

(1). लोक निर्माण विभाग द्वारा 03 अधिशासी अभियंताओं को स्थानांतरित किये जाने तथा कतिपय ऐसे कार्मिक जो समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नत हुए है उनकी सेवा की गणना सभी पदों पर की जाए अथवा पदोन्नति के पद पर की जाए, के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने, साथ ही जो कार्मिक दुर्गम में रहना चाहते हैं, उनको स्थानांतरण से छूट प्रदान किये जाने, ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2019 तक है तथा वे दुर्गम में ही रहना चाहते हैं तो उनको स्थानातरण से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा संघ के ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पद धारण की तिथि से 02 वर्ष तक है उनको 06 माह की अवधि तक छूट प्रदान किये जाने तथा स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत 10 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा की बाध्यता के दृष्टिगत विभाग में रिक्तियां कम होने के कारण कार्मिकों के विकल्प के आधार पर निकटतम स्थान पर समायोजित किये जाने की छूट प्रदान किये जाने तथा दुर्गम से सुगम की पात्रता के लिये 55 वर्ष की आयु के कार्मिकों के स्थानांतरण में छूट प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में यह उल्लेख करना है कि लोक निर्माण विभाग के 03 अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण एवं 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण की अधिकतम सीमा के दृष्टिगत कार्मिकों को विकल्प के आधार पर समायोजित किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम में उपलब्ध प्राविधानों के अधीन विभागीय स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाय।

इसके अतिरिक्त विभाग के अंतर्गत जो कार्मिक दुर्गम में रहना चाहते हैं उनका परस्पर दुर्गम क्षेत्र में ही स्थानांतरण किया जाय तथा जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2019 तक है उनको दुर्गम से सुगम में स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाती है। साथ ही संघ के ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पद धारण की तिथि से 02 वर्ष तक का है, उनके संबंध में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 17 (2)(घ) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 55 वर्ष की आयु के जिन कार्मिकों द्वारा दुर्गम से सुगम हेतु स्थानांतरण में छूट का अनुरोध किया जा रहा है, उनके संबंध में विभागीय स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाय।

(2). उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की अत्यन्त कमी है तथा वार्षिक स्थानांतरण हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के कारण महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की तैनाती संभव नहीं हो पा रही है। विभाग द्वारा स्थानांतरण की सीमा 10 प्रतिशत की सीमा में छूट दिये जाने तथा समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु भी 10 प्रतिशत की सीमा में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य 60 वर्ष से अधिक की आयु के होने के दृष्टिगत उक्त प्राचार्यों का स्थानांतरण किये जाने हेतु उनकी आयु की गणना 60 के स्थान पर 63 वर्ष किये जाने का अनुरोध किया गया।

उच्च शिक्षा विभाग में हो रही उक्त कठिनाई के दृष्टिगत महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्थानांतरण किये जाने की सीमा 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की जाती है तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों के स्थानांतरण हेतु आयु की गणना 60 वर्ष के स्थान पर 63 वर्ष की जाय। उक्त के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानांतरण 10 प्रतिशत की सीमा के अनुसार ही विभाग द्वारा किये जायं।

(3). सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई खण्ड, देहरादून एवं परियोजना खण्ड, देहरादून में कार्यरत 02 सहायक अभियंताओं तथा विभाग में मेट के पद पर कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरण अधिनियम से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं जिन स्थानों पर वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां पर वाहन चालकों का स्थानांतरण न किये जाने की सीमा तक स्थानांतरण अधिनियम में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रकरण समिति की परिधि का नहीं है। अतः उक्त 02 सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण विभाग द्वारा वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के अधीन नियमानुसार स्वयं के स्तर पर किया जाय तथा विभाग में मेट के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरण अधिनियम से मुक्त रखा जाय। इसके अतिरिक्त विभाग में जिन स्थानों पर वाहन उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर वाहन चालकों का स्थानांतरण न किया जाय।

(4). माध्यमिक शिक्षा विभाग में सुगम/दुर्गम क्षेत्र के निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान होने के दृष्टिगत, स्थानांतरण किये जाने हेतु अधिनियम में उल्लिखित समय सारणी में, इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

(5). कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वाहन चालकों को वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम से छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया।

(6) समिति की विगत बैठक में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम में "एन0आई0सी/भारत सरकार" शब्द जोड़े जाने के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश, जिसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में कार्यरत पति/पत्नी को यथासंभव एक ही जनपद/स्टेशन/स्थान पर तैनाती किये जाने के प्राविधान किया गया है, के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सचिव समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः / XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—
1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।